Title: Discussion on the Compulsory Voting Bill, 2004, moved by Shri Bachi Singh Rawat. (Under consideration).

17.24 hrs.

COMPULSORY VOTING BILL,2004

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No.38. The time allotted for this Bill is only two hours.

Shri Bachi Singh Rawat.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे सम्बन्धित

विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह एक नई सोच नहीं है, नया विचार नहीं है, बल्कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में लगभग 33 देश ऐसे हैं, जिनमें अनिवार्य मतदान किये जाने की व्यवस्था कानून के द्वारा अथवा संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा वहां की गई है और उसमें अनेक देश शामिल हैं, जिनमें बहुत कड़ा प्रतिबन्ध इस मायने में है कि यदि मतदान नहीं किया जाता और मतदान नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण वहां के मतदाना के द्वारा नहीं दिया जाता तो उसमें दण्ड का प्रावधान अथवा वेतन कटौती का प्रावधान दिया गया है।

इसमें प्रमुख देश आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिजी, लग्जम्बर्ग, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, ऊरग्वे, अर्जेंटीना आदि हैं। मैंने जिन 33 देशों का ज़िक्र किया, उनमें इटली भी सम्मिलित है जिसमें अनिवार्य रूप से मतदान किये जाने का प्रावधान किया गया। उनमें से कुछ देशों ने समय-समय पर इसमें परिवर्तन किया। चूंकि भारत की आजादी के बाद हमारा जो संविधान निर्मित हुआ, उसके भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया दी गयी है कि उन्हें मतदान का पूरा अधिकार होगा और निर्वाचन आयोग मतदान की व्यवस्था करेगा। नागरिक के अधिकारों में मतदान देने का प्रमुख अधिकार दिया गया है। भाग-2 में भारत की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों के बाद भाग 4(ए) बाद में जोड़ा गया। नागरिक के मूल कर्त्तव्यों में अनुच्छेद 51 (ए) में परिभाषित किया गया। लेकिन मतदान न मैनडेटरी हुआ न कर्त्तव्य के रूप में ही उसे परिभाषित किया गया कि उसका कोई कर्त्तव्य या दायित्व रहे कि वह मतदान में हिस्सा ले।

अभी इतने चुनावों के बाद हम 14वीं लोक सभा में आये हैं। चुनाव का दुखद पहलू है कि वास्तविक रूप से मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत घटा है। दिल्ली जैसा प्रदेश, जो देश की राजधानी है, यहां लगभग 30-32 प्रतिशत मतदाताओं ने ही मतदान में भाग लिया और उसी के आधार पर फैसला किया गया। हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार है, वह कैसे चुनी जानी है और बाकी का जो बहुमत था, उसकी कहीं कोई सीधी भागीदारी नहीं रही। यह उचित समय है जबकि हम इस विषय में वृहत्त तरीके से विचार करें और विचार करने के बाद इस विधेयक को बल प्रदान करते हुए पारित करें कि देश के भीतर जितने मतदाता हैं, उन मतदाताओं का मतदान के प्रति अनिवार्य रूप से दायित्व बने। हां, यदि किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से कोई बीमारी हो, मैं बहुत छोटा विधेयक लेकर आया हूं, यदि वह उस बीमारी से शारीरिक रूप से अशक्त हो जाये और उसका मेडिकल सर्टीफिकेट अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित और परिलक्षित होता है कि कोई युक्तियुक्त कारण है, जिसकी वजह से वह मतदाता मतदान नहीं कर सका, ऐसी स्थिति में उसको पूरी तरह से छूट रहनी चाहिए। इसके विपरीत वेतन की कटौती या सरकार की पदोन्नति में विलंब जैसे भय के लिए छोटा सा दंडात्मक विधान होना चाहिए। न केवल दंडात्मक बल्कि दूसरी ओर प्रोत्साहन देने के लिए धारा-4 में उल्लेख किया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी है, यदि वह लगातार पिछले 20 वर्षों से मतदान में भाग लेता आया है और बीमारी के बावजूद उसने मतदान में भाग लिया है तो उसको सेवा में अधिमान दिया जाये। उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश में अधिमान दिया जाये। अन्य प्रोत्साहन, जिसके लिए केन्द्र सरकार नियम निर्धारित कर सकती है, â€¦ (व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, इस विधेयक से संबंधित मंत्री कौन हैं ? â€¦ (व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री :आपकी बात हम सुन रहे हैं। इसके अलावा लॉ मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : बची सिंह जी, आप अपना भाषण आगे जारी रख सकेंगे, इसके लिए जो नियत समय होगा, उसमें यह विधेयक फिर से लाया जायेगा। अब हम आधे घंटे की चर्चा ले रहे हैं।